

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/85

दिनांक: 20.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकार
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव, 2026 हेतु।

संदर्भ:- आयोग के पत्रांक 6726 दिनांक 24.12.2009 एवं 6708 दिनांक 23.12.2009

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव, 2026 के दौरान संदर्भित पत्रांक 6726 दिनांक 24.12.2009 मतदान एवं मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोन के प्रतिबंध के संबंध में एवं पत्रांक 6708 दिनांक 23.12.2009 मतदान एवं मतगणना केन्द्रों पर मौजूदा मंत्री/सांसद/विधायक एवं सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के संबंध में जारी किए गए थे। उक्त दोनों पत्रों के द्वारा जारी किए गए निर्देश आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगे।

अतः उक्त पत्रों की प्रति संलग्न कर लेख है कि आगामी आम चुनावों के उक्त पत्रों में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 20.01.2026

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/686-692

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक एफ.7(7)(14)पंचा/रानिआ/99/6726

जयपुर दिनांक: 24.12.09

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर)

विषय: पंचायती राज संस्थाओं के लिए आम चुनाव-2010- मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 एवं 131 के प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी लागू होते हैं। उक्त धारा 130 के अनुसार मतदान केन्द्र में और उसके आस पास 100 मीटर की परिधि में मत संचाचना को निषिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त धारा 131 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों एवं उसके निकट विच्छृंखल आचरण भी निषिद्ध किया गया है।

मतदान केन्द्र में और उसके आस पास मोबाईल फोन/सैलूलर फोन के उपयोग से कानून व्यवस्था के साथ साथ मतदान की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है एवं धारा 130 एवं 131 के प्रावधानों का उल्लंघन भी हो सकता है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग मतदान दिवस को मतदान केन्द्र/बूथ में एवं उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में सुचारु मतदान की व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन न ले जायेगा और न उसका उपयोग करेगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान बूथ में और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन ले जाता है तो उसे उस क्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पास रख लिया जायेगा जिसे उस व्यक्ति को उस क्षेत्र के बाहर जाने के बाद लौटाया जायेगा।

मतगणना केन्द्रों पर भी मोबाईल/सैलूलर फोन के किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं के द्वारा या अन्ध किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से मतदान बूथ की व्यवस्था एवं मतगणना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है और इनके मतदान बूथ के भीतर उपयोग से मतपत्र की गोपनीयता भी समाप्त हो सकती है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मोबाईल/सैलूलर फोन के उपयोग को मतगणना केन्द्रों पर भी निषिद्ध किया जाता है।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट, या पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या पर्यवेक्षक के द्वारा अपने निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे लेकिन वे अपना मोबाईल फोन मतदान के दौरान मतदान केन्द्र/मतदान बूथ में साईलेन्ट (Silent) मोड में रखेंगे।

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

2nd Floor, Development Block, Secretariat, Jaipur- 302005

Dated: 23.12.09

1. All The District Election Officers (Panchayats)
(Collector)

Subject:- Panchayat General Election, 2009- Counting agents- Prohibition against entry of Minister/MP/MLA, or the person with security cover into Counting Centre.

Section 134(B)(1) of the Representation of the People Act, 1951 provides that no person, other than the Returning Officer, the Presiding Officer, any Police Officer and any other person appointed to maintain peace and order, at a polling station who is on duty at polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act 1959, of any kind within the neighborhood of a polling station. Provisions of section 134B of the Act of 1951 apply mutatis mutandis in the elections of Panchatyati Raj Institutions also. Movement of persons carrying arms in the Constituency and particularly in the vicinity of the polling station on the date of poll will not only intimidate and overawe the electors, polling staff and the general public but can also lead to violence and law and order problems by misuse or accidental use of such fire arms disturbing seriously the conduct of free, fair and peaceful poll.

3. It has been observed that if an MP, MLA or a sitting Minister acts as an agent of a candidate that would not be desirable from the point of view maintaining the level playing field during an election apart from their security being compromised.

5. The State Election Commission, keeping in view all the relevant factors in the regard, has decided that henceforth no sitting Minister either of Union Government or of a State Government, sitting Member of Parliament, sitting Member of Legislative Assembly or Chairperson of Municipal Corporation/Council/ Board or Pramukh of Zila Parishad or Pradhan of Panchayat Samiti or any other person having security cover provided by the

- State (both Union and State Governments) will be allowed to act as an Election Agent, Polling Agent or Counting Agent of any candidate during an election. Also any person having security cover will not be allowed to surrender his security cover to act as such agent of a candidate during an election.

This may be brought to the notice of all concerned for compliance by the candidates while they appoint such agent to watch their interest during an election.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully

(R.K.Jain)
Secretary,
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur